

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2/एसीपी/ई फाईल नं-175/जो.जयपुर/2023/605 दिनांक:- 29/5/2023

::आदेश::

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ. 20 (1) एफ.डी. (ग्रुप-2) 92 दिनांक 25.01.1992 एवं एफ.14 (1) एफ. डी(नियम)/2013-II दिनांक 28.06.2013 एवं राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 2017 एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 15 (1) एफ.डी/रूल्स/ 2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के अनुसरण में पुनरीक्षित वेतनमान 2017 वित्त विभाग के नियम क्रमांक एफ.15(88)एफ.डी/रूल्स/2017 दिनांक 27.02.2022 एवं एफ.15(88)एफ.डी/रूल्स/2008 दिनांक 27.02.2022 में उल्लेखित प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए निम्नलिखित नर्सिंग कार्मिक जिन्होंने 9/18/27 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से निम्नानुसार चयनित वेतनमान/एसीपी स्वीकृत की जाती है:-

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम एवं पद	पदस्थापन जिला	प्रथम नियुक्ति तिथि	एसीपी देय तिथि व पूर्ण सेवा अवधि	देय पे बेन्ड/वर्तमान में प्राप्त वेतन शृंखला	देय पे ग्रेड/देय पे वेतन शृंखला
1	पूनम कुमारी नर्सिंग ऑफिसर	जयपुर	21.02.2005 प्रथम नियुक्ति म.स्वा.का. के पद पर	21.02.2023 18 वर्ष	एल-11	एल-12
2	बबलेश नर्सिंग ऑफिसर	जयपुर	14.02.2005 प्रथम नियुक्ति म.स्वा.का. के पद पर	14.02.2023 18वर्ष	एल-11	एल-12
3	पवन कुमार बागडा नर्सिंग ऑफिसर	जयपुर	10.10.2011	10.10.2020 09 वर्ष	एल-11	एल-12
4	वर्षा पारीक नर्सिंग ऑफिसर	जयपुर	21.05.2011	21.05.2020 09 वर्ष	एल-11	एल-12
5	गीता रानी रावत म.स्वा.कार्यकर्ता	जयपुर	02.11.1995	02.11.2022 27 वर्ष	एल-11	एल-12
6	माधवीलता म.स्वा.कार्यकर्ता	अलवर	02.10.1992	02.10.2019 27 वर्ष	एल-11	एल-12
7	सुमन यादव म.स्वा.कार्यकर्ता	अलवर	26.09.2011	26.09.2020 09 वर्ष	एल-08	एल-10
8	कुमकुम चतुर्वेदी म.स्वा.कार्यकर्ता	अलवर	15.07.1995	15.07.2022 27 वर्ष	एल-11	एल-12
9	ममता कुमारी म.स्वा.कार्यकर्ता	अलवर	14.10.1995	14.10.2022 27 वर्ष	एल-11	एल-12
10	महेन्द्र कुमार सिसोदिया सिनियर नर्सिंग ऑफिसर	टोंक	15.06.1996	15.06.2023 27 वर्ष	एल-13	एल-14
11	सुमित्रा कुमारी म.स्वा.कार्यकर्ता	झुन्झुनु	16.06.2007	16.06.2017 09 वर्ष	एल-08	एल-10
12	अनुसुईया म.स्वा.कार्यकर्ता	सीकर	31.01.1994	31.01.2021 27 वर्ष	एल-11	एल-12

- यदि उक्त कार्मिकों में से किसी के 01.06.2002 के पश्चात् तीसरी संतान होने के कारण नियमानुसार यह आदेश उन पर लागू नहीं होगा।
- क.स. 11 पर अंकित कार्मिका के असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किये जाने के फलस्वरूप इन्हें वेतन वृद्धि रोके जाने के दण्ड से दण्डित किये जाने के कारण 09 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर दे एसीपी का लाभ 16.06.2016 के स्थान पर 16.06.2017 को देय होगा।

(सुरेश नवल)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संबंधित प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक मेडिकल कॉलेज ।
2. संबंधित अधीक्षक संलग्न चिकित्सालय संघ समूह ।
3. संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन ।
4. संबंधित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ।
5. संबंधित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
6. संबंधित चिकित्सा अधिकारी प्रभारी ।
7. सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी ।
8. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
9. आदेश/निजी पत्रावली ।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

Document certified by
SURESH NAWAL/sadd4ng@
Digitally Signed Suresh
Kumar N
Designation Director
Date :29-08-2023 03:58:07